न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 01/2018 (2018/00002

1. सुरज पुत्र गोविन्दा
2. बद्री पुत्र गोविन्दा
3. नहनू पुत्र गोविन्दा
4. रामफूल पुत्र गोविन्दा
   समस्त जातियान मीणा निवासी ग्राम ढण्ड तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. भोली पुत्री गोविन्दा पत्नी रामसहाय हाल निवासी ग्राम कांट–सांगला तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. मुली पुत्री गोविन्दा पत्नी फेलीराम हाल निवासी ग्राम चिताणूकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. ग्यारसी पुत्री गोविन्दा पत्नी जगदीश हाल निवासी ग्राम रूपवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
8. छोटा पुत्री गोविन्दा पत्नी लक्ष्मीनारायण हाल निवासी रूपवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

– – –अपीलान्ट्गण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अचरोल पंचायत समिति आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. श्रीमती कमली पत्नी श्री छीतरमल जाति मीणा निवासी ग्राम मेवाला की ढाणी ग्राम रहवर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीमती केशर पत्नी श्री रामसुख जाति मीणा निवासी ग्राम मेवाला की ढाणी ग्राम हरवर तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर
5. सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 05.07.2012
सरपंच ग्राम पंचायत ढण्ड पंचायत समिति तहसील आमेर जिला जयपुर

निर्णय दिनांकः 24.11.2019

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम हरवर तहसील आमेर में स्थित आराजी कृषि भूमि जिसके ख0नं0 497 रकबा 0.98 है0, ख0नं0 498 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 499 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 500 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 501 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 502 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 503 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 504 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 505 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.08 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 1.86 है0 में अपीलान्ट का हिस्सा 1/9 भाग तथा दूसरा राजस्व खाता जिसके आराजी 487/981 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 489/947 रकबा 0.03 है, ख0नं0 493 रकबा 0.54 है0, ख0नं0 496 रकबा 0.80 है0 में अपीलान्ट का हिस्सा 1/9 भाग के अपीलार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार थे। अपीलान्टगण ने उक्त वर्णित आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से 1/9 भाग में से 1/2 भाग अर्थात् 1/18 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 17.5.2012 के द्वारा रेस्पोडेन्टगण सं0 2 व 3 को बेचान किया था जिसका विक्रय पत्र दिनांक 17.5.2012 को उप पंजीयक कार्यालय आमेर में पंजीकृत करवाया था जो पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 468 में पृष्ठ सं0 137 क्रम सं0 2012064002334 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 01 सं0 1377 के पृष्ठ सं0 239– 248 पर चस्पा किया गया है।

रेस्पोडेन्टगण सं0 1 के द्वारा विवादित नामान्तकरण सं0 400 दिनांक 05.07.2012 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.5.12 के आधार पर रेस्पोडेन्टगण सं0 2 व 3 के हक में खोला गया लेकिन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.5.12 के अनुसार नहीं खोला जाकर उसके विपरीत जाकर गलत तरीके से तथ्यों और रिकॉर्ड से विपरीत जाकर विवादित नामान्तकरण भरा जाकर खोला गया जो की गलत है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन नामान्तकरण बिना अपीलार्थीगण को सूचना दिये एवं वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये नॉन स्पीकिंग आदेश 'नामान्तकरण स्वीकार है' कर दिया गया है। जो प्राकृपिक न्याय की दृष्टि से विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 10.12.2017 को पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी चाहने पर हुई तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपकी जगह जिनको आपने बेचान किया था उक्त खाते की आपके हिस्से की सम्पूर्ण खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 के नाम खाते में दर्ज है। ऐसी अवस्था में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ने सम्पर्क किया तो अपना नाम से आन–कानी की तो इस पर अपने वकील से राय प्राप्त की गई तथा बताया गया कि उक्त नामान्तकरण निरस्त करवाने की कार्यवाही करे इस पर अपीलार्थीगण खर्चे का बंदोबस्त कर अपीलाधीन

अपील प्रस्तुत कर दी गई। शीर्ष न्यायालय का यह अभिमत रहा है जब जहां वैधानिक न्याय की अवेहलना हुई है उस पर विचार कर मियाद के टेक्नीकल बिन्दू में शीतलता बरती जाकर न्यायहित में सुनवाई कर अपील प्रस्तुती में हुई देरी को कण्डौन कर मैरिट के आधार पर सुनवाई कर निर्णय दिया जावे मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलार्थीगण मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 400 दिनांक 05.07.2012 ग्राम ढण्ड तहसील आमेर जिला जयपुर को निरस्त फरमाया जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.5.2012 के अनुसार अपीलार्थीगण के द्वारा अपने हिस्से 1/9 दर हिस्से 1/2 भाग अर्थात 1/18 भाग का रेस्पोडेन्टगण सं0 2 व 3 का नामान्तकरण खोला जाकर शेष हिस्सा दरबस्तुर अपीलार्थीगण का वापस राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन आराजी में खातेदारी करवाने के आदेश फरवायें।

अपील अपीलान्टगण दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलवी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता ने यू.टी. दी। रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 की ओर से श्री कुलदीप ब्रह्मभट अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 की ओर से प्रा0पत्र बाबत अनापत्ति का पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट/अप्रार्थीगण की अपील को स्वीकार फरमाई जाने में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रकरण को निमानुसार फैसल फरमाया जावें।

उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 21.10.19 को सुनी गयी। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजात, अप्रार्थी के अनापत्ति प्रार्थना पत्र के मुताबिक अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित मानते है। अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 400 दिनांक 05.07.2012 ग्राम ढण्ड तहसील आमेर जिला जयपुर में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः जांच कर निर्णय पारित करें।

आदेश आज **दिनांक 24.11.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी

आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 01/2018

1. सुरज पुत्र गोविन्दा
2. बद्री पुत्र गोविन्दा
3. नहनू पुत्र गोविन्दा
4. रामफूल पुत्र गोविन्दा
   समस्त जातियान मीणा निवासी ग्राम ढण्ड तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. भोली पुत्री गोविन्दा पत्नी रामसहाय हाल निवासी ग्राम कांट–सांगला तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. मुली पुत्री गोविन्दा पत्नी फेलीराम हाल निवासी ग्राम चिताणूकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. ग्यारसी पुत्री गोविन्दा पत्नी जगदीश हाल निवासी ग्राम रूपवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
8. छोटा पुत्री गोविन्दा पत्नी लक्ष्मीनारायण हाल निवासी रूपवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

– – –अपीलान्ट्गण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अचरोल पंचायत समिति आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. श्रीमती कमली पत्नी श्री छीतरमल जाति मीणा निवासी ग्राम मेवाला की ढाणी ग्राम हरवर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीमती केशर पत्नी श्री रामसुख जाति मीणा निवासी ग्राम मेवाला की ढाणी ग्राम हरवर तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर ।
5. सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 05.07.2012
सरपंच ग्राम पंचायत ढण्ड पंचायत समिति तहसील आमेर जिला जयपुर

संशोधित निर्णय दिनांकः

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जा.दी. का वादी ने पेश कर निवेदन किया है कि अपील के पैरा नम्बर 2 पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 जिसका राजस्थान सरकार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढण्ड लिखा जाना था जो सहवन से ग्राम पंचायत अचरोल लिखा गया जिसको न्यायहित में शुद्धि करवाना आवश्यक है। प्रार्थी/अपीलान्ट के न्यायिक हित एवं खातेदारी अधिकारों को ध्यान में रखते हुये माननीय न्यायालय के जारी आदेश दिनांक 14.11.2019 को उपरोक्त वाछंनिय संशोधन किये जाने के आदेश फरमाये जाना अति आवश्यक जरूरी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.11.2019 में ग्राम ढण्ड तहसील आमेर जिला जयपुर की जगह संशोधित करते हुये ग्राम हरवर ग्राम पंचायत ढण्ड तहसील आमेर जयपुर अंकित किये जाने आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर राजस्थान सरकार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अचरोल के स्थान पर राजस्थान सरकार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढण्ड एवं आदेश दिनांक 14.11.2019 में ग्राम ढण्ड तहसील आमेर जिला जयपुर के स्थान पर ग्राम हरवर ग्राम पंचायत ढण्ड तहसील आमेर जयपुर पढ़ा जावें। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.22 13:11:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: